अनुदान संख्या 9 – नागर विमानन मंत्रालय
GRANT No. 9–MINISTRY OF CIVIL AVIATION

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
				(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**			
स्वीकृत-	Voted–	242,27,00	236,59,73	–5,67,27
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			5,23,85
पूंजीगत:	**Capital:**			
स्वीकृत-	Voted–	47,11,00	28,48,07	–18,62,93
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			18,11,43

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं:-

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, savings occurred under the following major head:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "3053" नागर विमानन	Major Head "3053" Civil Aviation				
मू.	O.	23390.00	22827.27	22786.42	–40.85
पु.	R.	–562.73			

(I) 110.00 लाख रु. का प्रावधान दो शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(II) "सामान्य - अन्य व्यय - इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी को सहायता अनुदान'' के अंतर्गत 300.00 लाख रु. की बचत (730.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विमान के अधिग्रहण के लिए प्रस्ताव को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(III) एक शीर्ष के अंतर्गत 71.47 लाख रु. की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 13 प्रतिशत थी।

(I) Provision of Rs.110.00 lakhs remained wholly unutilised under two heads.

(II) Under "General – Other Expenditure-Grants-in-aid to Indira Gandhi Rastriya Uran Academy"-saving of Rs. 300.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.730.00 lakhs) was due to non-finalisation of proposal for acquisition of aircraft.

(III) Under one head saving of Rs.71.47 lakhs occurred constituting 13 percent of the sanctioned provision.

2. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

2. In the capital section of the grant, savings occurred under the following major heads:-

शीर्ष	Head			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
						(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "4552" उत्तर पूर्वी क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4552" Capital Outlay on North Eastern Areas					
मू.	O.	529.00				
पु.	R.	–529.00		. .	. .	. .
मुख्य शीर्ष "5053" नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "5053" Capital Outlay on Civil Aviation					
मू.	O.	2434.00				
पु.	R.	–638.43		1795.57	1744.07	–51.50
मुख्य शीर्ष "7053" नागर विमानन के लिए कर्ज	Major Head "7053" Loans for Civil Aviation					
मू.	O.	1748.00				
पु.	R.	–644.00		1104.00	1104.00	. .

(I) 729.00 लाख रु. का प्रावधान तीन शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से 529.00 लाख रु. अकेले मुख्य शीर्ष "4552" - "अन्य व्यय - पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम से संबंधित परियोजना/स्कीमों के लिए प्रावधान" के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजना/स्कीमों पर व्यय को पूरा करने के लिए कार्यात्मक शीर्षों को निधियों का पुनर्विनियोग किए जाने के कारण थे।

(I) Provision of Rs.729.00 lakhs remained wholly unutilised under three heads; of these Rs.529.00 lakhs alone was under Major Head "4552"-"Other Expenditure –Provision for Project/ Schemes for North Eastern Region and Sikkim" - due to re-appropriation of funds to functional heads for meeting expenditure on the project/ schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(II) मुख्य शीर्ष "5053" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(II) Under Major Head "5053" - savings occurred under the following heads:-

(का) "विमानपत्तन - सार्वजनिक क्षेत्रके तथा अन्य उपक्रमों में निवेश - भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (राष्ट्रीय विमानपत्तन

(A) "Airports – Investment in Public Sector and other Undertakings - Airports Authority of

प्रभाग)''- 115.00 लाख रु. की बचत (1219.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सरकार द्वारा निधीयन किए गए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की स्कीमों पर कार्य की धीमी प्रगति होने के कारण हुई।

(खा) ''सामान्य - अन्य व्यय - नागर विमानन सुरक्षा''- 276.19 लाख रु. की बचत (700.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) नागर विमानन सुरक्षा अकादमी की स्थापना के प्रस्ताव को अंतिम रूप न दिए जाने और परियोजना को कार्यान्वयन के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को सौंपे जाने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष ''7053'' - ''सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों को कर्ज - भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (राष्ट्रीय विमानपत्तन प्रभाग)'' के अंतर्गत 644.00 लाख की बचत (1748.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सरकार द्वारा निधीयन किए गए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की स्कीमों पर कार्य की धीमी प्रगति होने के कारण हुई।

(IV) एक शीर्ष के अंतर्गत 58.35 लाख रु. की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 23 प्रतिशत थी।

India (National Airports Division)" - saving of Rs.115.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1219.00 lakhs) was due to slow pace of work on schemes of Airports Authority of India funded by Government.

(B) "General–Other Expenditure- Civil Aviation Security"- saving of Rs.276.19 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.700.00 lakhs) was due to non-finalisation of the proposal for setting up of Civil Aviation Security Academy and entrustment of the project to Airports Authority of India for implementation.

(III) Under Major Head "7053"-"Loans to Public Sector and other Undertakings - Airports Authority of India (National Airports Division)"- saving of Rs.644.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1748.00 lakhs) was due to slow pace of work on schemes of Airports Authority of India funded by Government.

(IV) Under one head saving of Rs.58.35 lakhs occurred constituting 23 percent of the sanctioned provision.